इलेक्शन टुडे

===

दिनांक - 12 नवम्बर 2018 अंक – 33

===

विधानसभा आम चुनाव-2018

संम्पत्ति विरूपण के 17 लाख 38 हजार से अधिक प्रकरण पंजीबद्ध

भोपाल : सोमवार, 12 नवम्बर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2018 तक प्रदेश में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये 37 हजार 181 गैर जमानती वारंट तामील करवाये गये हैं। इसी दौरान 3 हजार 733 अवैध हथियार जब्त किये गये हैं और 2 लाख 60 हजार 118 शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 17 लाख 38 हजार 539 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। इनमें से 16 लाख 84 हजार 973 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है। शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 13 लाख 11 हजार 538 प्रकरण पंजीबद्ध कर 12 लाख 77 हजार 896 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 4 लाख 27 हजार 01 प्रकरण पंजीबद्ध कर 4 लाख 7 हजार 77 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। इसी अवधि में वाहनों के दुरूपयोग पर 11 हजार 475 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

==

विधानसभा आम चुनाव-2018

प्रदेश में 5 करोड़ 4 लाख 95 हजार 251 मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज

आचार संहिता के 35 दिनों में अब-तक लगभग 50 करोड़ की सामग्री और नगदी जब्त : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भोपाल : सोमवार, 12 नवम्बर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक 9 करोड़ 57 लाख की लगभग 4 लाख लीटर

अवैध शराब, 5 करोड़ 45 लाख रूपये कीमत की ड्रग्स व नशीले पदार्थ, 7 करोड़ 43 लाख का अवैध सोना चांदी, 20 करोड़ 58 लाख रूपये की नगदी और 6 करोड़ 39 लाख रूपये कीमत की अन्य सामग्री पकड़ाई है। इस प्रकार 35 दिनों में लगभग 50 करोड़ रूपये की सोना-चांदी, अवैध शराब, नशीले पदार्थ और नगदी जब्त की गई है। जबकि विगत विधानसभा चुनाव 2013 में 27 करोड़ 61 लाख रूपये की जब्ती की कार्रवाई हुई थी।

श्री कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में सभी प्रत्याशियों को शपथ पत्र देकर फार्म-26 में ऐसे सभी प्रकरणों का उल्लेख करना है जिसमें उनके विरूद्ध अपराधिक मामले लंबित है या दोष सिद्ध हो चुके है। इन सभी शपथ पत्रों को प्रत्याशी तीन बार समाचार पत्रों और टी.वी. चैनलों पर स्वयं के व्यय पर प्रकाशित और प्रसारित करायेगा। टी.वी. प्रसारण के समय फोन्ट साईज स्टेंडर्ड होना चाहिए। इसके प्रसारण की अवधि 7 सेकण्ड से कम नहीं होना चाहिए।

इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-4 और सी-5 फॉर्मेट दिये गये है। सी-4 फार्मेट में अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के साथ 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी या आरओ को आपराधिक रिकार्ड के संबंध में प्रकाशित और प्रसारण का ब्यौरा दस्तावेजो के साथ जमा करना होगा और सी-5 फार्मेट में राजनैतिक दलों को 30 दिन के अन्दर प्रकाशन और प्रसारण के संबंध में रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहां जमा करनी होगी।

श्री राव ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के लिये 7 चुनाव चिह्न और अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिये 10 चुनाव चिह्न आरक्षित किये गये है। 84 चुनाव चिह्न गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दलों को इस शर्त पर रखे गये है कि उनके द्वारा विधानसभा चुनाव में 5 प्रतिशत अभ्यर्थी खड़े किये जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आचार-संहिता लगने के बाद 8 हजार 74 शिकायते प्राप्त हुई है। जिसमें 7 हजार 115 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है सी-विजिल एप्प पर 1463 शिकायते प्राप्त हुई, जिसमें 1428 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। सबसे ज्यादा 163 शिकायते सागर से प्राप्त हुई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9 जांच टीमें कार्यरत जिसमें 3 स्थायी, 3 भ्रमण पर और 3 टीमें शिकायत और सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही करेंगी।

राज्य में विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये 5 करोड 4 लाख 33 हजार 79 मतदाता निर्वाचन नामावली में दर्ज हैं। 2 करोड़ 63 लाख 1 हजार 300 पुरूष मतदाता और 2 करोड़ 41 लाख 30 हजार 390 महिला मतदाता एवं तृतीय लिंग 1 हजार 389 दर्ज है। 62 हजार 172 सेवा मतदाता है। इस तरह कुल 5 करोड़ 4 लाख 95 हजार 251 मतदाता शामिल है।

श्री राव ने बताया कि प्रेस को समय-समय पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किये गये सभी निर्देशो, आदेशों और अनुदेशों का पालन करना चाहिए। कोई भी समाचार पत्र और चैनल एग्जिट पोल के सर्वेक्षण को तब-तक प्रकाशित नहीं करेगा जब-तक अंतिम मतदान न हो जाये।

===

विधानसभा आम चुनाव -2018

विधानसभा चुनाव 2018 में 415 नामांकन-पत्र संवीक्षा के दौरान निरस्त

भोपाल : सोमवार, 12 नवम्बर, 2018। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद 2 से 9 नवम्बर, 2018 तक 4 हजार 157 नामांकन-पत्र जमा हुये। प्रदेश में जमा नामांकन-पत्रों की 12 नवम्बर को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संवीक्षा की गई। शाम 7 बजे तक प्राप्त जानकारी अनुसार संवीक्षा के दौरान प्रदेश में कुल 415 नामांकन निरस्त किये गये।

मुरैना में 6, भिण्ड में 8, ग्वालियर में 16, दतिया में 6, शिवपुरी में 9, गुना में 12, अशोक नगर में 5, सागर में 8, छतरपुर में 6, दमोह में 15, पन्ना में 2, सतना में 11, रीवा में 6, सिंगरौली में 7, शहडोल में 4, अनूपपुर में 5, उमरिया में 1, कटनी में 15, डिंडोरी में 5, मंडला में 5, बालाघाट में 10, सिवनी में 8, नरसिंहपुर में 3, छिंदवाड़ा में 27, बैतूल में 24, हरदा में 3, होशंगाबाद में 5, रायसेन में 8, विदिशा में 16, भोपाल में 9, सीहोर में 2, राजगढ़ में 1, शाजापुर में 8, देवास में 7, खंडवा में 8, बुरहानपुर 2, खरगोन में 19, बड़वानी में 22, अलीराजपुर में 5, झाबुआ में 10, धार में 22, इन्दौर में 10, उज्जैन में 1, रतलाम में 12, मंदसौर में 10 और नीमच में 11 नामांकन-पत्र निरस्त हुये।

===

भारत निर्वाचन आयोग 13 और 14 नवम्बर को प्रदेश के भ्रमण पर

भोपाल : सोमवार, 12 नवम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत, निर्वाचन आयोग के आयुक्त द्वय श्री सुनील अरोरा और श्री अशोक लवासा विधान सभा चुनाव 2018 की तैयारियों की समीक्षा के लिये प्रदेश के दो दिववसीय दौरे पर 13 नवम्बर को इंदौर पहुचेंगे। निर्वाचन आयोग के उपायुक्त श्री संदीप सक्सेना, श्री सुदीप जैन, श्री चंद्रभूषण कुमार और डायरेक्टर जनरल श्री दिलीप शर्मा तथा धीरेन्द्र ओझा भी साथ रहेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि आयोग द्वारा 13 नवम्बर को दोपहर 2 बजे से इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम् संभाग के 18 जिलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जायेगी। बैठक में संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहेंगे।

निर्वाचन आयोग इंदौर से रवाना होकर शाम को भोपाल पहुंचकर शाम 7.30 बजे होटल जहांनुमा पैलेस में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे।

अगले दिन 14 नवम्बर बुधवार को सुबह 9.30 बजे से मिंटो हॉल भोपाल में ग्वालियर, चंबल, भोपाल, सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के 33 जिलों में हो रही चुनावी तैयारियों की समीक्षा आयोग द्वारा की जायेगी।

मिन्टो हॉल में शाम 4.00 बजे से 4:30 बजे तक चुनाव व्यय से संबंधित नोडल अधिकारियों तथा शाम 4.30 बजे से प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ आयोग की बैठक होगी।

शाम 5.30 बजे मिंटो हॉल में आयोग द्वारा प्रेस से चर्चा की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग का दल शाम 7.35 पर दिल्ली के लिये रवाना होंगे।

==